

~~31-10-2024~~

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला-जोधपुर

व इजलास-मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

प्रार्थी

बनाम सुशीला देवी vs सरकार

अप्रार्थी

किस्म मुकदमा 136 एल.आर. एक्ट

प्रकरण संख्या :- 141 / 2024

आदेश :-

दिनांक :-

23/8/24

प्रार्थी

सुशीला देवी

पति

श्री चमराज

जाति (राज) निवासी बिलाड़ा, पक I तहसील बिलाड़ा,

जिला जोधपुर, राज. ने एक प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रेकर्ड में नाम दुरुस्ती का पेश किया है। प्रार्थना पत्र को जाँच हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को भेजा जावे।

तहसीलदार बिलाड़ा से जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार बिलाड़ा ने अवगत करवाया है कि ग्राम बिलाड़ा पक I की

जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 के खाता सं. में दर्ज अशुद्ध

नाम सुशीला देवी पुत्र पति चमराज जाति (राज)

निवासी बिलाड़ा पक I की शुद्ध नाम सुशीला देवी

पति चमराज जाति (राज) निवासी बिलाड़ा पक I राजस्व रेकर्ड

में शुद्ध किये जाने हेतु सहमत है। अतः जाँच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट का अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

Wol
सहायक क्लर्क
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा